मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल

"p;u Hkou" eu jkM u-1] fpukj ikdZ (bLV)] Hkksiky& 462011

म0प्र0 भू–अभिलेख विभाग के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक
(अनुसूचित जनजाति वर्ग) के पद हेतु चयन परीक्षा–2010
(विस्तृत विज्ञापन)

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा मध्यप्रदेश, भू–अभिलेख विभाग के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक (अनुसूचित जनजाति वर्ग) के पद हेतु चयन परीक्षा–2010 हेतु प्रतियोगी परीक्षा के आयोजन का कार्यक्रम एवं अन्य संबंधित जानकारी निम्नानुसार है :–

1. <u>परीक्षा दिनांक</u> : रविवार 21 मार्च, 2010
2. <u>परीक्षा शहर</u> : भोपाल,।
3. <u>रिक्त पदों की संख्या</u> –

स.क्र.	पदनाम	अनुसूचित जनजाति		योग
		पुरूष	महिला	
01.	राजस्व निरीक्षक	67	29	96

शासन द्वारा आरक्षण के संबंध में समय–समय पर जारी आदेशों के तहत पद सुरक्षित होंगे। अंतिम चयन के समय में वास्तविक रिक्त पदों की स्थिति को देखते हुए इस संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है।

4. <u>वेतनमान –</u> **रूपये 4000–100–6000 है । म.प्र. शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ–9/3/2003/नियम–4 दिनांक 13.04.2005 एवं क्रमांक एफ 9/डी/2003/नियम–4, दिनांक 02.07.2005 के अनुसार दिनांक 01.01.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू की गई है।**
5. <u>निर्धारित आयु सीमा</u> – अभ्यर्थी की आयु दिनांक **31.12.2009** को न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष होना चाहिये ।
उच्चतम आयु सीमा में श्रेणीवार छूट संबंधित विभाग के द्वारा जारी नियमों के अनुसार रहेगी।
उच्चतम आयु सीमा में श्रेणीवार छूट निम्नानुसार रहेगी :–

स.क्रं.	आवेदक	श्रेणी	आयु का विवरण
अ–	पुरूष	अनुसूचित जनजाति	5 वर्ष
ब–	महिला	अनुसूचित जनजाति	15 वर्ष
स–	महिला	आरक्षित अनुसूचित जनजाति/विधवा/परित्यकता/तलाकशुदा	20 वर्ष
द–	विकलांग	अनुसूचित जनजाति	10 वर्ष

म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक 427/1422/1/(3)/82 दिनांक 14.06.82 के अनुसार जिस भूतपूर्व सैनिक ने कम से कम 6 माह निरन्तर सेवा की हो, उसे अपनी वास्तविक आयु में से की गई सेवा अवधि घटाने की अनुमति है और इस प्रकार जो आयु निकलेगी, वह निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 50/2532/1 (3)/80 दिनांक 12.02.1981 के अनुसार राज्य सेवाओं में रोजगार कार्यालय के माध्यम से भरे जाने वाले तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदो में सेवा योग्य नेत्रहीन, गूंगे–बहरे तथा अपंग उम्मीदवारों को निर्धारित आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट प्राप्त होगी ।

6. <u>विवाह संबंधी/बच्चे संबंधी :–</u>
(1) जिस उम्मीदवार की विवाह की न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरूष वर्ग के 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिये 18 वर्ष) से पूर्व, विवाह कर लिया होगा, उसे राजस्व निरीक्षक के पद हेतु अयोग्य माना जावेगा। कोई भी ऐसे महिला/पुरूष उम्मीद्वार, जिसने किसी ऐसे पुरूष/स्त्री से विवाह किया हो, जिसकी पहले ही जीवित पत्नी हो, ऐसे महिला/पुरूष चयन के लिये पात्र नही होंगे।
(2) दिनांक 26.1.2001 के पश्चात् जिस उम्मीदवार के जीवित बच्चों की संख्या दो से अधिक हो गई हो, वह चयन के लिये पात्र नही होगा।

7. <u>न्यूनतम शारीरिक अर्हता</u>– अभ्यर्थी शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट एवं स्वस्थ होना चाहिए ।
8. <u>शैक्षणिक योग्यता</u>–अभ्यर्थी की न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण तथा सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना अनिवार्य है ।
9. <u>परीक्षा शुल्क–</u> आवेदन पत्र के साथ रू0 200/– (रू. दो सौ मात्र) का राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा बना हुआ क्रास्ड बैंक ड्राफ्ट म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल के नाम देय हो ।
10. <u>परीक्षा की योजना –</u>

(1) म.प्र.व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपल में आवेदन पत्र की जांच होगी। जांच में आवेदन पत्र सही एवं पूर्ण पाए जाने पर पात्र आवेदकों को लिखित परीक्षा में बैठने हेतु अंतरिम परीक्षा प्रवेश पत्र डाक से भेजा जावेगा।

(2) <u>लिखित परीक्षा :–</u> लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्रों का विषय, समय, अवधि एवं अधिकतम अंक निम्नानुसार होगें।

क्रं.	विषय	दिनांक	दिन	अवधि	समय	अधिकतम
1–	सामान्य ज्ञान/सामाजिक विषय/ भूगोल/इतिहास एवं डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग (सर्वे पार्ट–I एवं सर्वे पार्ट–II) से संबंधित भाग	–	–	3 घण्टे	–	150

टीप– (क) आवेदक को लिखित परीक्षा के लिए काला बॉलपेन, अपने साथ लाना होगा एवं उत्तर इसी पेन से अंकित करने होंगे।

(ख) परीक्षा में किसी प्रकार के केलकुलेटर, मोबाइल आदि के उपयोग की अनुमति नही दी जावेगी।

(ग) नकलः– लिखित परीक्षा में जो उम्मीदवार अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए अथवा नकल सामग्री के साथ पकडा जावेगा, तो परीक्षा/अभ्यर्थिता निरस्त की जायेगी। इसके अलावा अन्य उचित वैधानिक कार्यवाही भी की जावेगी। लिखित परीक्षा हॉल में केवल उन्ही उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जावेगा, जिनके पास अंतरिम अनुमति स्वरूप उचित प्रवेश पत्र होगा।

11. चयन सूची – लिखित परीक्षा में न्यूनतम अर्हकारी प्राप्तांक 50% होना अनिवार्य है । चयनित प्रावीण्य सूची बनाने हेतु समान अंक प्राप्त होने पर अधिक उम्र वाले उम्मीद्वार को वरीयता दी जावेगी । लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जावेगी ।

12. नियुक्ति – 8 (1) नियुक्ति की शर्तें भू–अभिलेख नियमावली भाग 2 के अध्याय–1 की कंडिका 12,13,14,15 के अनुसार एवं शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी ।

8 (2) म0प्र0 भू–अभिलेख नियमावली भाग–2 के अनुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में प्रशिक्षण पश्चात् आयोजित होने वाली सभी विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होगी ।

8 (3) नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यार्थियों को म0प्र0 के किसी भी जिले में पदस्थ करने की कार्यवाही की जावेगी। नियुक्ति संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा की जावेगी ।

8 (4) अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों को शासन के नियमानुसार यात्रा व्यय का भुगतान आयुक्त भू–अभिलेख एवं बन्दोबस्त, म0प्र0 द्वारा किया जावेगा ।

8 (5) किसी भी विधि संबंधी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Juridiction) म0प्र0 के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

13. चरित्र सत्यापन :–

चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति के पश्चात उनका चरित्र सत्यापन कराया जावेगा तथा केवल "अनुकूल" चरित्र पाये जाने वाले उम्मीदवारों के विषय में ही उन्हे उपस्थित कराने पर विचार किया जावेगा। उम्मीदवारों का मेडीकल परीक्षण भी संबंधित जिले के सिविल सर्जन द्वारा कराया जावेगा। नियुक्ति के लिए उम्मीदवार का मेडीकली फिट होना भी अनिवार्य है।

14. प्रशिक्षण :–

चयनित उम्मीदवारों का नियुक्ति उपरान्त 09 माह का राजस्व निरीक्षक के कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा उक्त प्रशिक्षण उपरान्त आयोजित होने वाली परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। परीक्षा में उत्तीर्ण न होने पर संबंधित को एक माह का नोटिस देकर सेवा से मुक्त (बर्खास्त) कर दिया जावेगा।

15. परीक्षा से संबंधित विस्तृत विज्ञापन एवं आवेदन पत्र का प्रारूप मंडल की वेबसाइट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध है । जिसे डाउनलोड कर आवेदन भरा जा सकता है।

16. भरे हुए आवेदन पत्र मण्डल कार्यालय, भोपाल में जमा करने एवं डाक से प्राप्त होने की अंतिम तिथि – 31.01.2010 को कार्यालयीन समय तक रहेगा। इसके बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र निरस्त माने जायेंगे।

17. मण्डल द्वारा म.प्र. भू–अभिलेख विभाग के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक (अनुसूचित जनजाति वर्ग) के पद् हेतु दिनांक 01.08.2008 द्वारा प्रमुख समाचार पत्रों मे प्रकाशित विज्ञापन क्रमांक 41/2008 को **निरस्त किया जाता है**, परन्तु **पूर्व में आवेदित आवेदको को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नही है।** उनकी पात्रता विज्ञापन क्रमांक 41/2008 के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

18. मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल में आवेदक के आवेदन पत्र प्राप्त हो जाने के बाद, आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा की गई किसी भी त्रुटि को सुधारने का अवसर मंडल द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है । अतः त्रुटिवश भरे गये आवेदन पत्र नियमानुसार अमान्य होने की पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी । इस संबंध में कोई पूछताछ/पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा ।

19. आवेदन पत्र में स्टार से दर्शायी गयी प्रविष्टि **अपूर्ण/निरंक होने** की स्थिति में आवेदन पत्र अमान्य किया जायेगा जिसकी संपूर्ण जबावदारी स्वंय आवेदक की होगी।

विज्ञापन कं....48 .../2010

संचालक
म.प्र. यावसायिक परीक्षा मण्डल,
भोपाल

e/;izns'k O;kolkf;d ijh{kk e.My

मेन रोड नं.1, चिनार पार्क(ईस्ट), भोपाल–462011
फोन नं.: 0755–2578801,02,03,04, फैक्स : 0755–2550498, ई–मेल : vyapam@mp.nic.in वेबसाईट : www.vyapam.nic.in

e/;izns'k Hkw&vfHkys[k foHkkx esa jktLo fujh{kd ¼v-t-tk- oxZ½ ds inksa gsrq p;u ijh{kk&2010

vkosnu&i=

कार्यालयीन उपयोग हेतु	

आवेदक का फोटो
(साइज 5x7 से.मी.)
(*)

आवेदक के हस्ताक्षर **(*)**

नोट : (1) आवेदन–पत्र भरने के पूर्व निर्देशों को विस्तृत विज्ञापन में भलीभांती पढ़ें व आवेदन–पत्र के साथ कोई दस्तावेज/प्रमाण–पत्र संलग्न न करें।
(2) आवेदन–पत्र में चाही गई जानकारी अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (Capital Letters) में निर्धारित स्थान पर ही भरें।

1. पद का नाम जिसके लिए आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है **(*)** राजस्व निरीक्षक (अ.ज.जा. वर्ग)

2. आवेदक का पूरा नाम :

3 पिता/पति का नाम :

4 माता का नाम :

5. शैक्षणिक योग्यता :

6. जन्मतिथि : अंकों में **(*)**

तिथि	माह	वर्ष

शब्दों में :..

7. दिनांक 31.12.2009 को आवेदक की आयु :

वर्ष	माह	दिन

8. लिंग : **(*)** टिक (✓) करें

पुरूष	महिला

9. क्या आप अनुसूचित जनजाति वर्ग के अंतर्गत आते हैं ? टिक (✓) करें **(*)**

हॉ	नहीं

10. क्या आप विस्तृत विज्ञापन के नियम क्रं.05 के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिक हैं? : टिक (✓) करें

हॉ	नहीं

11. क्या आप मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं ? : टिक (✓) करें **(*)**

हॉ	नहीं

12. क्या आप विस्तृत विज्ञान के नियम क्रं.05 के अंतर्गत विकलांग उम्मीदवार हैं? टिक (✓) करें

हॉ	नहीं

13. आवेदक का पत्र–व्यवहार का पता :

पिन कोड

14. यदि आप राजस्व निरीक्षक पद के लिए आवेदन करे रहे है तो क्या आप विस्तृत विज्ञापन के नियम क्र. 08 पर उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता रखते है।

हॉ	नहीं

15. क्या आप विवाहित हैं?

हॉ	नहीं

यदि हॉ, तो विवाह की तिथि :

तिथि	माह	वर्ष

दिनांक 26.01.2001 के पश्चात् जीवित बच्चों की संख्या : विस्तृत विज्ञापन के नियम क्रं.06 अनुसार

16. क्या आप विस्तृत विज्ञापन के नियम क्रं. 05 के अंतर्गत आयु सीमा में छूट की पात्रता रखते है?

हॉ	नहीं

17. परीक्षा शुल्क की जानकारी :

Demand Draft No.	Date	Payment Bank	Amount

(*) डाटा परीक्षा एवं परिणाम के लिए आवश्यक है। रिक्त छोड़ने पर आवेदन–पत्र निरस्त किया जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

?kks"k.kk&i=

मैं, सत्यनिष्ठा से घोषित करता/करती हूँ कि मैंने आवेदन–पत्र अच्छी तरह पढ़कर समस्त जानकारी निहित स्थान पर पूर्ण एवं सही भरी है, फिर भी कोई जानकारी अपूर्ण पाई जाती है अथवा अन्य प्रमाण–पत्रों द्वारा उपरोक्त जानकारी गलत या त्रुटिपूर्ण पाई जाती है, तो इसके लिये मैं स्वयं उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी तथा विभाग को मेरा चयन/नियुक्ति निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

स्थान :

दिनांक : आवेदक के हस्ताक्षर...

आवेदक का पूरा नाम...